<u>राजभाषा विभाग</u>

<u>आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना - आवेदन आमंत्रित करना</u>

अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय विषयों में मूल व उत्कृष्ट लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 'आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों के लिए पुरस्कार' नाम की योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए नामांकन आमंत्रित करने के मानदंड इस प्रकार हैं:-

1) **<u>पात्रताः</u>**

(क) भारतीय विश्वविद्यालयों (यूजीसी मान्यता प्राप्त) के कार्यरत/सेवानिवृत्त प्रोफेसर (सहायक और एसोसिएट, आदि सहित), जिन्होंने आर्थिक/बैंकिंग/वित्तीय विषयों पर मूल रूप से हिन्दी में न्यूनतम **200** पृष्ठों की कम से कम एक पुस्तक लिखी हो, इस योजना के अधीन पुरस्कार के पात्र होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) में शामिल विषयों पर लिखी गई पुस्तक **01** जुलाई **2019** से **30** जून **2020** के बीच प्रकाशित होनी चाहिए तभी उस पर पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा।

(ग) लगातार **2** वर्षों तक पुरस्कृत लेखक को तीसरे वर्ष कूलिंग पीरियड में रखा जाएगा। चौथे वर्ष पुनः वह योजना में भाग लेने के लिए पात्र होगा।

2) **<u>मूल्यांकन समितिः</u>**

(क) विश्वविद्यालयों में कार्यरत अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय विषयों के **2** (दो) प्रोफेसर और हिन्दी साहित्य/भाषा विज्ञान के **1** (एक) प्रोफेसर; इनमें <u>वरिष्ठतम प्रोफेसर समिति के अध्यक्ष</u> होंगे।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग के महाप्रबंधक समिति <u>के सदस्य-सचिव</u> होंगे।

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, राजभाषा विभाग समिति के लिए सचिवालय का काम करेगा।

3) **मूल्यांकन विधि:**

(क) आवेदकों से विचारार्थ प्राप्त पुस्तक/(कें) अध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाएंगी।

(ख) अर्थशास्त्र/बैंकिंग/वित्तीय क्षेत्र के प्रोफेसर इसकी विषय-वस्तु की जांच करेंगे और हिन्दी साहित्य/भाषा विज्ञान के प्रोफेसर इसकी भाषा-शैली की जांच करेंगे।

(ग) विषय वस्तु पर **60%** और भाषा शैली पर **40%** वेटेज़ होगा।

4) **पुरस्कारों की संख्या:** अधिकतम **3** (तीन)।

5) **पुरस्कार राशि:** प्रत्येक पुरस्कार – **₹1,25,000.00** (रुपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) का होगा।

इस योजना में भाग लेने के इच्छुक सभी प्रोफेसरों से अनुरोध है कि वे अपना नामांकन निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में प्रत्येक पुस्तक की **5** प्रति के साथ हमें **27 नवंबर 2020 तक** भिजवाने की व्यवस्था करें। देरी से प्राप्त/अधूरी प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। पुरस्कार के संबंध में लिया गया निर्णय बैंक की वेबसाइट **www.rbi.org.in** पर अपलोड किया जाएगा तथा विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया जाएगा। इस संबंध में आवेदकों से और कोई सीधा पत्राचार नहीं किया जाएगा। ये पुरस्कार हर वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित वार्षिक राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे।